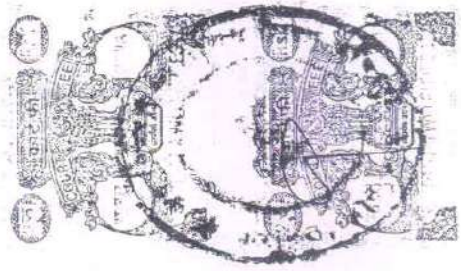

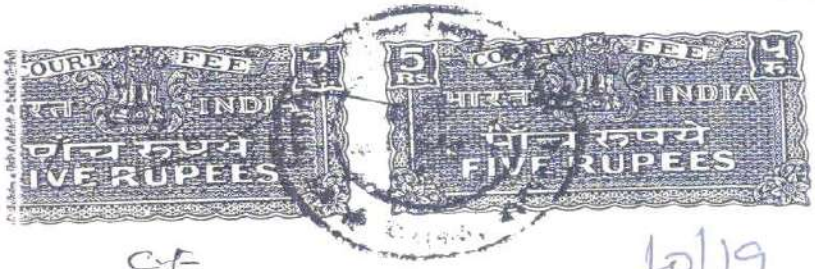

COURT FEE INDIA
पांच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA
पांच रुपये FIVE RUPEES

10/19

C/F
4
14.00

नकल आदेश दिनांक 2/3/19 न्या० उपजिलाधिकारी केराकत जौनपुर वाद संख्या T201914360500518 धारा 80 उ०प्र०रा० सं० 2006 मौजा रेहटी परगना बयालसी तहसील केराकत जनपद जौनपुर सुनीत कुमार सिंह बनाम गांवसभा ता० फै० 2/3/19 !

कापियों के साथ नकल की छाया प्रति संलग्न है

C.N. 91
2/3/19

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :जौनपुर,तहसील :केराकत
वाद संख्या :-00518/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201914360500518
सुनीत कुमार सिंह बनाम ग्रामप्रधान
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

प्रस्तुत वाद नीलकण्ठ एजूकेशनल फाउण्डेशन उमरपुर हरिबन्धनपुर, जौनपुर जरिये मुख्य न्यासी सुनीत कुमार सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह साकिन मौजा– उमरपुर हरिबन्धनपुर, तहसील–सदर, जनपद–जौनपुर के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2019 के आधार पर संस्थित किया गया।

वाद पत्र में वादी नीलकण्ठ एजूकेशनल फाउण्डेशन उमरपुर हरिबन्धनपुर, जौनपुर जरिये मुख्य न्यासी सुनीत कुमार सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह साकिन मौजा– उमरपुर हरिबन्धनपुर, तहसील–सदर, जनपद–जौनपुर ने ग्रामसभा मौजा– रेहटी, परगना–बयालसी, तहसील–केराकत, जनपद–जौनपुर एवं उ0प्र0 सरकार जरिये कलेक्टर, जौनपुर को पक्षकार मुकदमा बनाते हुए कथन किया गया है कि वादी आराजी निजाई 1298/0.1250हे0, 1310मि0/0.4945हे0, 1309/0.061हे0 स्थित ग्राम–रेहटी, परगना–बयालसी, तहसील–केराकत, जिला–जौनपुर को अकृषिक घोषित करते हुए वाद दाखिल किया, वाद निर्विवाद है कि वादी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र में किसी भी खातेदार को कोई आपत्ति नहीं है वादी के रकबे 0.125हे0, 0.4945हे0, 0.061हे0 अकृषिक घोषित होने में कोई विधिक अड़चन नही है। वादी द्वारा चालान नं0 3 द्वारा मु0 80340/–रूपया जमा करके एवं भारतीय कोर्ट फी सं0 606826 लगायत 606841 यानी 16 भारतीय कोर्ट फी मु0 80,000/– के साथ 272559 ल0 272561 यानी 300 रू0 संलग्न है।

वादी के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में तहसीलदार केराकत से जांच आख्या चाही गई। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी अपने हिस्से के 0.1460 हे0 पर पक्का भवन, सहन बनाकर गैर कृषि प्रयोजन में उपभोग कर रहा है। जिसे आवासीय अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व नायब तहसीलदार केराकत की जांच आख्या दिनांक 23.02.2019 का अवलोकन व परिशीलन भली भाँति किया। तदनुसार आदेश निर्गत किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि नीलकण्ठ एजूकेशनल फाउण्डेशन उमरपुर हरिबन्धनपुर, जौनपुर जरिये मुख्य न्यासी सुनीत कुमार सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह साकिन मौजा– उमरपुर हरिबन्धनपुर, तहसील–सदर, जनपद–जौनपुर आराजी निजाई 1298/0.1250हे0, 1310मि0/0.4945हे0, 1309/0.061हे0 स्थित ग्राम–रेहटी, परगना–बयालसी, तहसील–केराकत, जिला–जौनपुर को अकृषिक घोषित करते हुए भू0रा0 से अवमुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना जारी हो। बाद आदेश अनुपालन आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

2.3.19.

(आयुष कुमार चौधरी)
उपजिलाधिकारी
केराकत, जौनपुर।

91
14.00 2/3/19
2/3/19
2/3/19
छायाप्रति
150

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :जौनपुर,तहसील :केराकत
वाद संख्या :-3137/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202114360503137
नीलकण्ठ एजुकेशन फाउण्डेशन बनाम उ०प्र० सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद नीलकण्ठ एजुकेशनल फाउण्डेशन उमरपुर हरिबन्धनपुर जौनपुर जरिये व्दारा मुख्य न्यासी सुनील कुमार सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम–उमरपुर तहसील–सदर जिला–जौनपुर के प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.04.2021 पर संस्थित किया गया ।

वाद पत्र मे ग्राम सभा मौजा–रेहटी परगना–बयालसी तहसील–केराकत जिला–जौनपुर के फसली वर्ष 1427–1432 के खाता सं0 00146 मे अंकित गाटा सं0 1299/0.2750हे0 के सम्पूर्ण रकबे के भूमि पर कृषि कार्य नही होता है। बल्कि उक्त भूमि का प्रयोग वाणिज्यिक रुप मे होता है। उक्त मूल्यांकन का एक प्रतिशत 17875 रू0 का ट्रेजरी चालान दिनांक 29.06.2021 को जमा किया। जिसकी रसीद संलग्न पत्रावली है। साथ ही रू0 17900/– का कोर्ट फी जमा करके अकृषिक घोषित करने हेतु आवेदन किया है।

वादी के प्रार्थना–पत्र के संदर्भ मे तहसीलदार केराकत से जॉच आख्या मगाई गयी तहसीलदार केराकत की जॉच आख्या दिनांक 10.06.2021 का अवलोकन व परिशीलन भली–भॉति किया गया। जॉच आख्या से स्पष्ट होता है की वादी नीलकण्ठ एजुकेशनल फाउण्डेशन उमरपुर हरिबन्धनपुर जौनपुर जरिये व्दारा मुख्य न्यासी सुनील कुमार सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम–उमरपुर तहसील–सदर जिला–जौनपुर की स्थित ग्राम–रेहटी परगना–बयालसी तहसील–केराकत जिला–जौनपुर आराजी 1299/0.2750हे0 के सम्पूर्ण रकबे के भूमि पर कृषि कार्य नही होता है। बल्कि उक्त भूमि का प्रयोग वाणिज्यिक रुप मे होता है। तथा इसका अकृषिक प्रयोजन हेतु प्रयोग होता है। यह भूमि अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है। तदनुसार आदेश पारित किये जाने मे कोई विधिक बाधा नही है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि नीलकण्ठ एजुकेशनल फाउण्डेशन उमरपुर हरिबन्धनपुर जौनपुर जरिये व्दारा मुख्य न्यासी सुनील कुमार सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम–उमरपुर तहसील–सदर जिला–जौनपुर की स्थित ग्राम– रेहटी परगना–बयालसी तहसील–केराकत जिला–जौनपुर के फसली वर्ष 1427–1432 के खाता सं0 00146 मे अंकित गाटा सं0 1299/0.2750हे0 के सम्पूर्ण रकबे को अकृषिक घोषित करते हुए भू0रा0 से अवमुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना जारी हो। वाद आदेश अनुपालन आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11.8.21

(चन्द्र प्रकाश पाठक)
उपजिलाधिकारी
केराकत,जौनपुर

पृष्ठ संख्या :

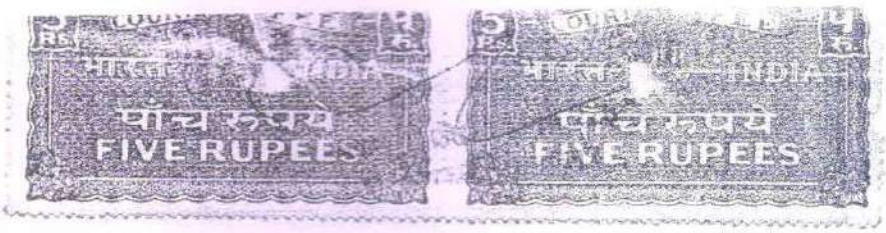

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

नकल आदेश दिनांक 21-1-12 - पत्रावली
आदि अदालती कार्यवाही केस नं० वाद नं० 10 धारा-17
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] बनाम -
[illegible] [illegible] - 21-1-12

नकल [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(8)

न्यायालय उपजिलाधिकारी केराकत।
वाद सं0 /10 धारा 143 ज0वि0अधि0
मौजा रेहटी परगना बयालसी तह0 केराकत
नीलकण्ठ कालेज ऐजुकेशन बनाम सरकार

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नीलकण्ठ कालेज ऑफ एजुकेशन द्वारा राजेन्द्र प्रताप न्यासी राजेन्द्र प्रताप द्वारा संचालित स्व0 रामकृपाल सिंह स्मृति शिक्षक एवं समाज कल्याण ट्रस्ट सा0 मौजा उमरपुर हरिबनधनपुर मछलीशहर रोड जिला जौनपुर ने उ0प्र0 सरकार जरिये कलेक्टर जौनपुर व गॉवसभा जरिये प्रधान एवं अ0भू0प्र0स0 ग्राम रेहटी परगना बयालसी तहसील केराकत ने अनतर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0 इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया है कि हम वादी ग्राम रेहटी परगना बयालसी तहसील केराकत में स्थित आराजियात नम्बरी 1287/0.049, 1291/0.036, 1292/0.194, 1293/0.081 1294/0.105 के संकमणीय भूमिधर व काविज है और इसमें संस्थान के इमारत निर्मित हो चुकी है और इसमें कृषिकार्य नही होता है। आराजी निजाई अकृषिक कार्य हेतु प्रयुक्त हो रही है और इसमें शिक्षण संस्थान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य सम्बन्धी गतिविधियां संचालित हो रही है। अन्य अभिकथन करते हुए अन्त में याचना किया है कि उपरोक्त आराजियात को अकृषिक घोषित करते हुए माल गुजारी से मुक्त किया जाय। अपने कथन के समर्थन में नकल खतौनी वर्ष 1415 से 1420 के खाता सं0 814 व 812 प्रस्तुत किया है।

पत्रावली आख्या हेतु तहसील भेजी गयी। नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक 20.01.12 के साथ पत्रावली न्यायालय को प्राप्त करायी गयी। नायब तहसीलदार की आख्या के अनुसार ग्राम रेहटी परगना बयालसी तहसील केराकत की खतौनी वर्ष 1415 से 1420 के खाता सं0 814 पर आ0नं0 1287/0.049 व खाता सं0 812 पर आराजी सं0 1291/0.036, 1292/0.194, 1293/0.081, 1294/0.105 पर नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामकृपाल व विनित कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद साकिन उमरपुर हरिबन्धन पुर के साथ नीलकण्ठ कालेज ऑफ ऐजुकेशन द्वारा मुख्य न्यासी राजेन्द्र प्रताप द्वारा संचालित स्व0 रामकृपाल सिंह स्मृति शिक्षक एव समाज कल्याण ट्रस्ट सा0 उमरपुर हरिबन्धनपुर के नाम संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही होता है। उक्त भूमि मौके पर जोती–बोयी नही जाती है। भूमि को चहार दीवारी बनाकर घेरा गया है जिसमें कुछ भवन शिक्षण कार्य हेतु बने है। भूमि मौके पर अकृषिक है। मौके की प्रमाणित फोटो रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं नायब तहसीलदार की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रेहटी परगना बयालसी तहसील केराकत की खतौनी वर्ष 1415 से 1420 के खाता सं0 812 व 814 पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामकृपाल सिंह व विनित कुमार पुत्र राजेन्द्र सा0 उमरपुर हरिबनधनपुर के साथ नीलकण्ठ कालेज ऑफ ऐजुकेशन द्वारा मुख्य न्यासी राजेन्द्र प्रताप द्वारा संचालित स्व0 रामकृपाल स्मृति शिक्षक एवं समाज कल्याण ट्रस्ट सा0 उमरपुर हरिबन्धनपुर का नाम दर्ज है। उक्त भूमि चहार दीवारी बनाकर घेरी गयी है जिसमें कुछ भवन शिक्षण कार्य हेतु बना है। उपरोक्त भूमि में कृषि कार्य नही होता है। मौके की फोटो जो नायब तहसीलदार द्वारा प्रमाणित है साथ संलग्न है। इस प्रकार उपरोक्त आरजियों को अकृषिक किये जाने में कोई विधिक अड़चन नही है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम रेहटी परगना बयालसी तहसील केराकत की खतौनी वर्ष 1415 से 1420 के खाता सं. 814 के आराजी सं0 1287/0.049 व खाता सं0 812 की आराजी सं0 1291/0.036, 1292/0.194, 1293/0.081, 1294/0.105 को अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुताबिक परता मुक्त किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक केराकत के यहॉ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद अनुपालन पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

21/1/12

(राजेन्द्र कुमार)

123